राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांकः- एफ1(14)ग्रावि/नरेगा/ग्रुप-3/वेज/2014/68151 जयपुर, दिनांक :

07 DEC 2020

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर
जिला समस्त, राजस्थान।

विषयः-महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत "पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान" (दिनांक 16.12.2020 से 15.02.2021 तक) के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

प्रसंगः- विभागीय पत्र दिनांक 30.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना जितना काम उतना दाम (टास्क) आधारित योजना हैं। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार योजनान्तर्गत मजदूरी केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है जो वर्ष 2020-21 के लिए 220/- प्रति दिवस निर्धारित हैं। वर्तमान में राज्य में औसत मजदूरी दर 166/- रूपये प्रति दिवस है जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित दर से काफी कम हैं।

विभाग द्वारा योजनान्तर्गत नियोजित श्रमिकों द्वारा निर्धारित टास्क प्राप्त करने हेतु समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, परन्तु अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुये है जिसके मुख्य कारण संभवतया श्रमिकों की जागरूकता में कमी तथा जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर से प्रभावी पर्यवेक्षण का अभाव हैं।

योजनान्तर्गत श्रमिकों को पूरा काम कर पूरा दाम प्राप्त करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर दिनांक **16.12.2020 से 15.02.2021** तक (4 पखवाडे हेतु) राज्य सरकार द्वारा **"पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान"** चलाने का निर्णय लिया गया है।

विशेष अभियान अन्तर्गत पूरा काम पूरा दाम प्राप्त करने हेतु 2 माह की विस्तृत कार्य योजना पत्र के साथ संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि अभियान का पर्याप्त प्रचार-प्रसार कर अभियान को

सफल बनावे एवं प्रत्येक पखवाडे की समाप्ति के 2 दिवस पश्चात अभियान की प्रगति रिपोर्ट आवश्यक रूप से निर्धारित प्रपत्र (संलग्न परिशिष्ट–1) में राज्य स्तर पर जरिये ई–मेल (pdre_rdd@yahoo.com) पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधिनियम कें प्रावधान के अनुसार जिले में योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व जिला कार्यक्रम समन्वयक का हैं। अतः आप विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारियों को अभियान की सफलता हेतु दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करावें एवं यदि किसी भी स्तर पर अभियान के क्रियान्वयन में उदासीनता बरती जाती हैं तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें। आपको निम्न प्रावधान के तहत कार्यवाही के लिए अधिकृत किया हुआ हैः–

- महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 25
- कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 08.02.2010
- पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 91 (क)
- संविदा कार्मिकों के विरूद्ध संविदा अनुबन्ध के अनुसार

कोविड–19 महामारी के लॉकडाउन के दौरान जारी दिशा निर्देश दिनांक 30.03.2020 के बिन्दु संख्या–2 में दिये गये निर्देशों को प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाता है तथा कोविड–19 गाईडलाईन 30.03.2020 के शेष बिन्दुओं की तथा कोविड–19 के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे।

कृपया विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप **"पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान"** की सफलता सुनिश्चित करे।

संलग्नः– **उपरोक्तानुसार**

भवदीय

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त, राजस्थान।
5. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त, राजस्थान।
6. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, ईजीएस

पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान दिशा निर्देश

(अवधि दिनांक 16.12.2020 से 15.02.2021 तक)

❖ विशेष् अभियान अन्तर्गत श्रमिकों को पूरा काम पूरा दाम प्राप्त करने हेतु निम्न कार्यवाही किया जाना आवश्यक हैं:-

- कार्यस्थल पर श्रमिकों का नियोजन उनकी रूचि के अनुसार 5-5 के समूह में गठन कर अनिवार्य रूप से करवाया जावे तथा विभागीय दिशा निर्देश दिनांक 20.07.2010 की पालना भी सुनिश्चित करावें।
- समूह माप न करने वाले तकनीकी कार्मिकों के विरू'द्ध विभागीय नियमो के तहत कार्यवाही कर समूह माप प्रवृति को पुन: प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रेरित कर श्रमिकों को पूरा काम पूरा दाम दिलवाया जावे।
- समूह को कार्य निष्पादन के दौरान मध्य मे उनके द्वारा निष्पादित किये कार्य की प्रगति से अवगत करवाया जावे।
- मॉडल कार्यस्थल की निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षणकर्ता अधिकारी सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलक्टर, एवं राज्य मुख्यालय को प्रेषित करेगा तथा कार्यस्थल पुस्तिका में निरीक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट का आवश्यक रूप से इन्द्राज करेगा।
- जिन कार्यस्थलों पर मेटों एवं तकनीकी अधिकारियों के प्रयासो से श्रमिकों को पूरा दाम मिल रहा हैं उन कार्यस्थलों का भ्रमण सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को करवाया जावे।
- माननीय मुख्यमत्री राजस्थान सरकार द्वारा योजना की समीक्षा के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुरूप योजनान्तर्गत तकनीकी अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर विशेष अभियान के दौरान मेटों एवं श्रमिकों को पूरी मजदूरी दिलाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करवाया जावे।

- काम के लिए आवेदन पत्र ऑनलाईन, मोबाईल एप, आईवीआर माध्यम से भी लिया जाना एवं प्रपत्र 6 की दिनांकित प्राप्ति रसीद मजदूरों को आवश्यक रूप से दिया जाना सुनिश्चित करावें। दिनांकित पावती रसीद नहीं देने वाले कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही करने वाले अधिकारी का विवरण दीवार पर लिखा जावे।
- आवेदकों से 5-5 व्यक्तियों के समूह में फार्म संख्या 6 (प्रपत्र-6) प्राप्त कर समूहवार श्रमिकों की सूची का इन्द्राज कर ई-मस्टररोल जारी किया जावे एवं जितना काम उतना दाम के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जावे। जिन श्रमिकों के द्वारा टास्क पूरा कर लिया जाता है उन्हे निर्धारित समय से पूर्व घर जाने दिया जावे।
- पर्याप्त मात्रा में कार्यों की स्वीकृती जारी की जावे यथा संभव प्रत्येक राजस्व ग्राम में श्रमिकों की आवश्यकता के अनुसार कार्यों की स्वीकृति काम की मांग के आधार पर समय पर की जावे।
- परंपरागत कार्यों से हटकर योजनान्तर्गत अनुमत गाइडलाइन में दिये गये 260 प्रकार के कार्यो मे से अन्य कार्य जैसे पौधारोपण, पहाड़ों पर ट्रेन्च आदि कार्यो को कार्ययोजना में शामिल किया जावे।
- राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप 50 प्रतिशत महिला मेटों का नियोजन एवं रोटेशन के आधार पर मेटों को नियोजित किया जावे। अप्रशिक्षित एवं लम्बी अवधि तक एक ही मेट को लगाये जाने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं कार्मिको के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जावे। मेटो को आवश्यक सामग्री यथा फीता, कैलकुलेटर, दवाई किट ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जावे।
- मेट प्रतिदिन मजदूर द्वारा किये गये कार्य की माप आवश्यक रूप से मस्टररोल में दर्ज करेगा यदि ऐसा नहीं करता है तो कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मेट पैनल से हटा दिया जावेगा।
- मेट के साथ एक एग्रीमेंट हस्ताक्षर कराया जाये जिसमें यह आवश्यक रूप से हो कि जो मेट मस्टररोल में काम मापकर भरता है वह यदि JTA के द्वारा मापने पर 10 प्रतिशत से अधिक/कम पाया जाता है तो जितना कम काम मिलता है उसकी वसूली मेट से की जावेगी। साथ ही उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करवाया जाकर उसे वापस कभी मेट नहीं लगाया जावेगा।

- पूरा काम पूरा दाम का मूल्यांकन किया जाये और अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन हेतु पुरुस्कृत किया जावे।
- विशेष अभियान हेतु राज्य/जिला/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर निम्नानुसार प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जावे :-

क्र.स.	स्तर	पद	उत्तर दायित्व
1	राज्य स्तर	परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस	प्रभारी अधिकारी
		अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस	सह प्रभारी अधिकारी
2	जिला स्तर	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	प्रभारी अधिकारी
		अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस	सह प्रभारी अधिकारी
3	पंचायत समिति स्तर	विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
		सहायक अभियन्ता, ईजीएस	सह प्रभारी अधिकारी
4	ग्राम पंचायत स्तर	कनिष्ठ अभियन्ता/ कनिष्ठ तकनीकी सहायक	प्रभारी अधिकारी
5	कार्यस्थल	मेट, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, ग्राम रोजगार सहायक	कार्य प्रभारी

- पंचायत समिति स्तरीय प्रभारी अधिकारी द्वारा जिन पंचायत समितियों में 2 सहायक अभियन्ता, ईजीएस (पंचायत समिति सह प्रभारी) कार्यरत हैं, को तथा कनिष्ठ अभियन्ता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक (ग्राम पंचायत प्रभारी) को समान रूप से ग्राम पंचायतों का प्रभार आवंटित किया जावे।
- ग्राम पंचायत में इस प्रकार के कार्यस्थलों का चयन किया जावे जिनमें श्रमिको को टास्क की पूर्ण जानकारी के अभाव में निर्धारित मजदूरी दर (220 रूपये प्रति दिवस) से कम भुगतान प्राप्त हो रहा हैं। (व्यक्तिगत लाभ, वृक्षारोपण आदि कार्यों के अतिरिक्त)
- ग्राम पंचायत प्रभारियों द्वारा पखवाडे के 5-8 दिवस में कार्यस्थल का निरीक्षण कर चैक किया जावे कि श्रमिको द्वारा निर्धारित टास्क अनुसार कार्य पूर्ण किया जा रहा हैं अथवा नहीं।

- यदि टास्क के अनुसार कार्य नही किया जा रहा है, तो श्रमिकों को कार्यस्थल पर वास्तविक माप का प्रदर्शन (Demonstration) करते हुये टास्क पूरा करने हेतु प्रेरित किया जावे ताकि श्रमिकों को पूरी मजदूरी मिल सके। साथ ही मेट, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, ग्राम रोजगार सहायक को भी पूरा काम पूरा दाम के सम्बन्ध में जानकारी दी जावे।
- कार्य प्रभारियों द्वारा श्रमिक मजदूरी दर कम होने की स्थिति में विभागीय दिशा निर्देश दिनांक 05.07.2019 के अनुसार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जावे।
- मजदूरी दर कम होने की स्थिति में विभागीय दिशा निर्देश दिनांक 05.07.2019 के अनुरूप जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाकर सुधारात्मक कार्यवाही की जावे।
- जिला/पंचायत समिति स्तर पर पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जावे एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
- प्रत्येक पखवाडे की समाप्ति के 2 दिवस पश्चात अभियान की प्रगति रिपार्ट आवश्यक रूप से निर्धारित प्रपत्र में राज्य स्तर पर जरिये ई-मेल pdre_rdd@yahoo.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- प्रथम पखवाडे में प्रत्येक ब्लॉक के उन 5 कार्यों चयन किया जावेगा जिन पर प्रशिक्षित महिला मेट नियोजित हैं। चयनित कार्यस्थलों पर विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक की देखरेख में पूरा काम पूरा दाम अभियान चलाया जावेगा।
- द्वितीय पखवाडे में प्रत्येक ब्लॉक के 15 कार्यों का चयन कर जिनमें कम से कम 10 कार्यों पर महिला मेट नियोजित हो पर पूरा काम पूरा दाम अभियान चलाया जावेगा।
- तृतीय पखवाडे में 30 कार्यों का चयन कर जिनमें कम से कम 20 कार्यों पर महिला मेट नियोजित हो पर, पूरा काम पूरा दाम अभियान चलाया जावेगा।
- चतुर्थ पखवाडे में समस्त जिले में प्रगतिरत समस्त कार्यो पर पूरा काम पूरा दाम अभियान चलाया जावेगा।

- अभियान के दौरान जिले के अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार कार्यो का निरीक्षण किया जावेगाः-

अधिकारी का पद नाम	पखवाडा							
	प्रथम		द्वितीय		तृतीय		चतुर्थ	
	ब्लॉक की संख्या	कार्यों की संख्या	ब्लॉक की संख्या	कार्यों की संख्या	ब्लॉक की संख्या	कार्यों की संख्या	ब्लॉक की संख्या	कार्यों की संख्या
DPC	2	5	2	5	3	8	3	10
ADPC	3	8	3	8	4	10	5	15
XEN	4	10	4	10	5	15	5	20
BDO	1	5	1	10	1	20	1	30
AEN	1	5	1	10	1	20	1	30
JEN/JTA	1	5	1	15	1	30	1	शत प्रतिशत

- इसके अतिरिक्त डीपीसी द्वारा अन्य अधिकारियों से भी अभियान को सफल बनाने हेतु कार्यस्थलों का निरीक्षण करवाया जा सकेगा।
- निरीक्षणकर्ता अधिकारी/कर्मचारी कुछ समय कार्यस्थल पर उपस्थित रहकर वास्तविक माप प्रदर्शन करते हुये मजदूरों को टास्क पूरा करने हेतु प्रेरित करेगे।
- अधिकारियों द्वारा कार्यों का निरीक्षण इस प्रकार से किया जावेगा कि क्षेत्र के अधिकतम कार्यों का निरीक्षण हो सके।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान की रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रपत्र

जिले का नाम:-

पखवाडा	कुल पंचायत समितियों की संख्या	प्रति प.सं. चयनित कार्यो की संख्या	निरीक्षण किये गये कार्यो की संख्या						जिले की मजदूरी दर			निरीक्षण किये गये कार्यो पर प्रशिक्षित मेटों की संख्या		विशेष विवरण
			जिला स्तर			पंचायत समिति स्तर			न्यूनतम	अधिकतम	औसत	महिला मेट	पुरूष मेट	
			DPC	ADPC	XEN	BDO	AEN	JEN/JTA						
1	2	3	4						5			6		7
प्रथम														
द्वितीय														
तृतीय														
चतुर्थ														